

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज०)

मि० नं०

183/A/2024

पीठासीन अधिकारी-विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उन्वान

तारीख दायरा

09.01.2024

तारीख फैसला

12.02.2024

- 1- महावीर मेघवाल पुत्र पन्नालाल मेघवाल जाति मेघवाल निवासी चावण्डहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा राज०

(वादी)

बनाम

- 1- पन्नालाल पुत्र माधोलाल जाति मेघवाल निवासी चावण्डहेडी तहसील दीगोद
2- धर्मराज पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी चावण्डहेडी तहसील दीगोद
3- पृथ्वीराज पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी चावण्डहेडी तहसील दीगोद
4- रेखाबाई पुत्री पन्नालाल पत्नि गिरिराज जाति मेघवाल निवासी चावण्डहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा
5- राजेश बाई पुत्री पन्नालाल पत्नी रविकान्त जाति मेघवाल निवासी बटावदा तहसील बारां जिला बारां राज०
6- कजोड़ी बाई उर्फ सीताबाई पुत्री माधोलाल पत्नी धनराज जाति मेघवाल निवासी टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा
7- राज०सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज०

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से - श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से - पंकज मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी


निर्णय


वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि

1- यह कि वाके ग्राम चावण्डहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता सं० 22 पुराना खाता सं० 19 खसरा नम्बर 114 रकबा 2.41 हेक्टर, तथा ग्राम नाथू बाई की झोपडियां तहसील दीगोद में खाता सं० 29 पुराना खाता सं० 27 खसरा नम्बर 245 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 1.65 हेक्टर किता 3 रकबा 2.80 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात को इस वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2- यह कि पक्षकारों का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:-




उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज०)

3- यह कि उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादिया क्रम 6 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा खातेदारान बिशनीबाई उर्फ किशनी बाई का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी क्रम 1 का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा नियत है तथा प्रतिवादिया क्रम 6 के 1/2 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त है। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 प्रतिवादी क्रम 1 के जायज पुत्र व पुत्रियां होने से तथा भूमि पुश्तैनी होने से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 का जन्मतः हक अधिकार नियत है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 का प्रत्येक का 1/6- 1/6 हिस्सा भूमि बनती है। वादी को उक्त विवादित आराजी में से 1/6 हिस्से की भूमि का बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

4- यह कि प्रतिवादिया क्रम 6 का नाम जमाबन्दी में कजोडीबाई दर्ज है जो घर पर बोलते नाम से जमाबन्दी में नाम दर्ज हो गया है जबकि दस्तावेजों में सीताबाई नाम दर्ज है। जमाबन्दी में कजोडीबाई व दस्तावेजों में सीताबाई नाम होने से रजिस्टर्ड पंजीयन दस्तावेज से हकत्याग नहीं करा सके। इसलिए न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पेश करना आवश्यक हो गया है कि खातेदारान बिशनीबाई उर्फ किशनी बाई की मृत्यु हो जाने से खाते से नाम डिलिट किया जाना आवश्यक है।

5- यह कि वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि उक्त वर्णित भूमि में वादी के कब्जे काश्त एवं प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलांदाजी नहीं करें, रहन, बेचान या खुर्द बुर्द नहीं करें, वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।


6- यह कि वाद कारण दिनांक 09.09.2023 को वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त भूमि में अपना हिस्सा दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण साफ इंकार हो गये जिस कारण वाद बमुकाम चावण्डहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा में उत्पन्न हुआ।

7- यह कि वाद आवश्यक प्रकृति का होने से कारण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा को धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित किये बगैर यह वाद प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सीपीसी के प्रावधानों के तहत पेश किया गया है।

8- यह कि वाद पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की सादर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमायी जावे कि:-

1- कि वाके ग्राम चावण्डहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 में खाता सं0 22 पुराना खाता सं0 19 खसरा नम्बर 114 रकबा 2.41 हेक्टर, तथा ग्राम नाथू बाई की झोपडियां तहसील दीगोद में खाता सं0 29 पुराना खाता सं0 27 खसरा नम्बर 245 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 1.65 हेक्टर कित्ता 3 रकबा 2.80 हेक्टर भूमि पुश्तैनी होने से वादी का प्रतिवादी क्रम 1 की आराजी में 1/6 हिस्सा भूमि बनती है जिस पर वादी काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से वादी को कई प्रकार की परेशानी हो रही है इसलिए वादी को सम्पूर्ण खाते की भूमि में से 1/6 हिस्से की भूमि का बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।


सचखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

- 2- कि प्रतिवादिया क्रम 6 का नाम राजस्व रिकार्ड में कजोडीबाई उर्फ सीताबाई दर्ज किया जावे। सीताबाई के नाम से दस्तावेज है।
 - 3- कि सहखातेदारा किशनीबाई उर्फ बिशनीबाई फौत हो जाने से खाते से नाम डिलिट किया जावे।
 - 4- कि वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि उक्त वर्णित भूमि में वादी के कब्जे काश्त एवं प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलांदाजी नही करे, रहन, बेचान या खुर्द बुर्द नही करें, वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।
 - 5- कि अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।
- वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:-
- 1- नकल जमाबन्दी ग्राम चावण्डहेडी खाता सं० 22 सम्वत 2076-2079
 - 2- नकल जमाबन्दी ग्राम नाथूबलाई की झोपडिया खाता सं० 29 सम्वत 2076-2079

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। वादी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर न्यायालय में लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से आपसी सहमति से एक लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली की आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी। वादी-प्रतिवादीगण की पहिचान हेतु आई डी की जांच की गयी। पत्रावली को बहस पर नियत की गयी।

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तों की बहस सुनी गयी। वादी-प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, बहस वादी-प्रतिवादी अधिवक्ता एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों एवं प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया।


वादी-प्रतिवादीगण में आपसी सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया:-

यह कि उपरोक्त उनवान का एक वाद सम्मानीय न्यायालय में जैरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है।

राजीनामा

वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 निम्न आधारों पर यह राजीनामा माननीय न्यायालय में पेश करते हैं कि:-

- 1- यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर माननीय न्यायालय में राजीनामा पेश कर रहे हैं।
- 2- यह कि वाके ग्राम चावण्डहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता सं० 22 पुराना खाता सं० 19 खसरा नम्बर 114 रकबा 2.41 हेक्टर, तथा ग्राम नाथू बाई की झोपडियां तहसील दीगोद में खाता सं० 29 पुराना खाता सं० 27 खसरा नम्बर 245 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 1.65 हेक्टर किता 3 रकबा 2.80 हेक्टर भूमि स्थित है।
- 3- यह कि उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादिया क्रम 6 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा खातेदारा बिशनीबाई उर्फ किशनीबाई का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी क्रम 1 का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा नियत है तथा प्रतिवादिया क्रम 6 के


 उपखण्ड अधिकारी
 दीगोद, जिला कोटा (राज.)

1/2 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 व उसके पुत्र काविज काशत है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 प्रतिवादी क्रम 1 के जायज पुत्र व पुत्रियां होने से तथा भूमि पुश्तैनी होने से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 का जन्मतः हक अधिकार नियत है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 का प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा भूमि बनता है। प्रतिवादिया क्रम 4 ता 5 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पक्ष में अपने हिस्से का हकतर्कनामा करती है। उक्त आराजी में अपना हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है इसलिए वादी का उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा बनता है वादी को सम्पूर्ण खाते की भूमि में से 1/4 भूमि का खातेदार काशतकार घोषित करवाये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है।

4- यह कि उक्त विवादित आराजी पुश्तैनी है जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी क्रम 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 3 का हिस्सा 1/4 है। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी में से 1/4- 1/4 हिस्सा सहखातेदार दर्ज करवाये जाने के लिए सहमत है। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है।

5- यह कि उक्त आराजी का राजीनामा आपसी सहमति से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 ने अपनी स्वेच्छा से किया है जिसमें दोनों पक्ष सहमत है।


अतः राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि उक्त वाद पत्र को आपसी सहमति से प्राप्त हिस्सा अनुसार डिक्री फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा पर उपभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

उभय पक्ष की ओर से आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा प्रस्तुत किया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं उभय पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी पुश्तैनी भूमि है। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी-प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 3 का 1/4 हिस्सा बनता है। वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 3 को 1/4- 1/4 को सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार हकत्याग का शुल्क वसूल करते हुए राजीनामा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)